

उलंघन पत्र

Speed post/Email



भारत सरकार, खान मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF MINES
भारतीय खान ब्यूरो, क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय- रायपुर
INDIAN BUREAU OF MINES, OFFICE OF REGIONAL CONTROLLER OF MINES, RAIPUR
फोन- 2282530-0771 2285590/ / 95, ईमेल - ro.raipur@ibm.gov.in

File no- CHG/38CHG14024/RPR

दिनांक -23/6/2019

प्रेषिति- श्री बी. पी. मिश्रा,

वरिष्ठ उपाध्यक्ष खान एवम खान एजेंट

सैंचुरी सिमेंट चुना पत्थर खान

मेसेर्स अल्ट्राटेक सिमेंट लि.

पोस्ट- बैकुंठ, जिला- रायपुर-493116

ईमेल-utcl-bcw.mines@adityabirla.com

विषय- छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले में स्थित आपकी सैंचुरी सिमेंट चुना पत्थर खान 74.843 हे. में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमों के उलंघन के संबंध में- Minecode-38CHG14024.

महोदय

आपकी उपरोक्त खान का निरीक्षण दिनांक 18/6/2021 को अधोहस्तक्षरी द्वारा आप एवम श्री आर पी एस भाटिया, खान प्रबंधक की उपस्थिति में किया गया तथा खान के निरीक्षण में पाया कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबंधों का उल्लंघन किया है।

| नियम | उल्लंघन के प्रकार का ब्यौरा | | |
|-------|---|---|---|
| 11(1) | Mining operations in the mining lease are not being carried out in accordance with as per the proposal given in approved review of Mining plan dated 12/11/2018 to the extent given below. | | |
| | Items | Proposal | Deviation done |
| | 1) Development work. | Top bench was to be kept 60 mts advance from limestone bench. | Developmental work at top bench is lagging behind and top bench is not kept sufficiently advanced from limestone benches. |
| 19(1) | Log books of heavy earth moving machinery used in mines in respect of each machine showing date-wise account of hours worked, hours not worked, reasons for non-working, consumption of fuel or energy and lubricants and output of the machine during the corresponding working hours, have not been maintained. | | |

- इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। एवम इस नियम का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 11(2) (क) के अंतर्गत
(क) खान की सारी खनन संक्रियाएं बंद की जा सकती हैं।
(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।
(ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिस राज्य सरकार से की जा सकती है।
- अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशिघ्र सुधार करें एवम इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 45 दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(बी.एल.गुर्जर)

कृते क्षेत्रीय खान नियंत्रक

भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि- सुचनार्थ ।

1. खान नियंत्रक (मध्य), भारतीय खान ब्यूरो , इंदिरा भवन, सिविल लाईन, नागपुर 440001 Email-com.cz@ibm.gov.in
2. संचालक भौमिकी एवम खनिकर्म, छत्तिसगढ इंद्रावती भवन द्वितीय तल डी ब्लोक, केपिटल कोम्प्लेक्स , नया रायपुर, छत्तिसगढ- Email dgm.cg@gov.in
3. खान प्रबंधक, सेंचुरी सिमेंट चुना पत्थर खान, मेसेर्स अल्ट्राटेक सिमेंट लि. पोस्ट- बैकुंठ, जिला- रायपुर-493116 ईमेल- rps.bhatia@adityabirla.com



क्षेत्रीय खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो